

2022/249

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चित्तौडगढ़ (राज०)
क्रमांक / सरिश्ता / 2022 / 167

दिनांक:- 31-5-22

वास्ते :-

तहसीलदार,
बेगू।

विषय :- प्रार्थना पत्र अ० घा० 128 एल आर एक्ट के
तहत पत्थर गढी करने बाबत

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा
द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ० घा० 128 एल आर एक्ट का अनवान देव किशन
मिता किशन // जी चमार जना 4-घोटा रत्नाल 8/3 साजी नाथ

का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा रायती प० ह०
रायती की आराजी संख्या 838, 1504/839

कुल किता 0.2 कुल रकबा 0.3540 है एवं
भूमि की पत्थरगढी प्रार्थी एवं विपक्षीगण की

उपस्थिति में किये जाने का निवेदन किया है। आपको इस पत्र के
साथ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कुल किता 0.2 संलग्न कर इस

पत्र के साथ भिजवाया जा रहा है।

अतः आप प्रार्थी देव किशन अथवा उनके अधिवक्ता श्री अशोक
शर्मा से पत्थरगढी शुल्क के 1000/- रुपये वसूल करते


हुए मौके पर यदि विवाद ना हां तो मौजा रायती प० ह० रायती
की आराजी संख्या 838, 1540/839 किता 0.2

कुल रकबा 0.3540 है एवं
भूमि की प्रार्थी एवं विपक्षीगण की उपस्थित में करते हुए प्रार्थी को

सुचित करें।

नोट:- यदि मौके पर किसी भी प्रकार का विवाद हो तो पत्थरगढी नही कि जाकर प्रार्थना पत्र
पुन लौटाया जावें।

संलग्न- प्रार्थना पत्र
किता-


सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगू